अरावली में किन्हें गिराना है.....

पेज 1 का शेष

मदद करेंगे। इस पर डीएम यशपाल यादव ने कहा कि जिला प्रशासन वन विभाग को पूरी मदद करेगा। दो बड़े अफसरों के बयानों से साफ है कि टोपी को घुमाया जा रहा है। एक विभाग दूसरे पर टोपी रखने की कोशिश कर रहा है।

सवाल ये है कि जब इसमें एमसीएफ की कोई भूमिका नहीं है तो किस तरह एमसीएफ के बेईमान अफसरों ने किस हैसियत से अरावली में पीएलपीए की कई जमीनों का सीएलयू बदल दिया। कैसे कभी एमसीएफ के टाउन प्लानर रहे और अब वर्तमान में हरियाणा के टाउन प्लानर सतीश पाराशर ने इस गलत काम को अंजाम दिया। इस वजह से वो फरीदाबाद में सस्पेंड हो चुके हैं।

सवाल ये है कि डीसी फरीदाबाद ने समय-समय पर वन विभाग से और एमसीएफ से अरावली में हुए अवैध निर्माणों की सूची मांगी। एमसीएफ के पूर्व कमिश्नर मोहम्मद शाइन ने जब डीसी को लिखा कि रेवन्यू रेकॉर्ड बडखल तहसील के पास है, जमीनों की रजिस्ट्री तहसील में हो रही है तो वहां से इस अवैध काम को रोका जाए। डीसी दफ्तर की भूमिका क्या इधर से उधर डाक भेजने की है। जिले में रेवन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी डीसी ही होता है, उसके बाद एसडीएम और तहसीलदार आते हैं। डीसी फरीदाबाद की नाक के नीचे अरावली में जमीन कैसे बिकती रही। अफसरों को पता है कि वन विभाग के पास उस तादाद में कर्मचारी और स्टाफ नहीं है कि वो अरावली में फार्म हाउसों, अवैध आश्रमों-मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को गिराने की कार्रवाई कर सके।

बचाने की गोलबंदी कैसे की गई है

अरावली के सभी अवैध फार्म हाउसों, अवैध आश्रमों-मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को अगले सोमवार-मंगलवार को वन विभाग नोटिस देने जा रहा है। हालांकि अवैध निर्माण खुद हटाने की उसकी चार दिन की समय सीमा सोमवार को खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी वो एक बार और अंतिम नोटिस देगा। लेकिन इसके साथ ही हरियाणा सरकार उन फार्म हाउसों, आश्रमों, शिक्षण संस्थाओं की सूची भी बनवा रहा है, जिन पर स्टे है या विभिन्न अदालतों में केस लम्बित है। हरियाणा सरकार या जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि फलां-फलां संस्थान या फार्म हाउस का कोर्ट केस लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि ऐसे केसों में क्या नीति अपनाई जाए। अगर अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 23 जुलाई के उसके आदेश के बाद किसी भी अदालत में चल रहा केस अब कोई मायने नहीं रखता तो सभी अवैध निर्माणों को गिराने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर अदालत ने कहा कि पहले ऐसे निर्माणों के कोर्ट केस का फैसला आएगा तब कार्रवाई होगी तो यह मामला फिर कई साल के लिए टल जाएगा। लेकिन खोरी तो उजड़ चुकी होगी।

चंपत रॉय को मानव रचना की चिन्ता

इसके अलावा भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। भाजपा में उच्च स्तर पर और सरकार में भी उच्च स्तर पर सूचना भेजी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई के फैसले के बाद मानव रचना इंटरनैशनल यूनिवर्सिटी तोड़ दी जाएगी। दिल्ली के कई बड़े लोगों ने फोन पर इस संवाददाता से इस संबंध में जानकारी मांगी। हरियाणा और केंद्र सरकार से भाजपा, आरएसएस और विहिप के कई बड़े नेताओं ने सीधे बात की है कि अगर मानव रचना यूनिवर्सिटी टूटती है तो प्राइवेट सेक्टर के शिक्षण संस्थानों को बहुत बुरा संदेश जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार इस यूनिवर्सिटी का टूटना रोका जाना चाहिए।

अब इस घटनाक्रम को इस सूचना से समझने की कोशिश करिए।17 जुलाई 2021 को सूरजकुंड रोड पर स्थित मानव रचना इंटरनैशनल स्कूल के कन्वेन्शन हॉल में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक हुई थी जिसमें चंपत रॉय और आलोक कुमार से लेकर तमाम बड़े बड़े विहिप और संघ के पदाधिकारी आए थे। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। इस बैठक के हित मानव रचना इंटरनैशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। बैठक का पूरा खर्च मानव रचना के मालिक ने उठाया था। खोरी जब टूट रहा था, उसी दौरान यह बैठक हो रही थी। दरअसल, खोरी पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलने के बाद तमाम शिक्षण संस्थानों और फार्म हाउस मालिकों में खलबली मची हुई है कि कैसे और किसकी शरण में जाकर वे तोड़फोड़ के दायरे में आने से बच सकते हैं। मानव रचना के मालिक को लगता है कि अयोध्या में मंदिर की जमीन का कथित घोटाला करने वाला चंपत रॉय उनकी यूनिवर्सिटी को टूटने से बचा लेगा। चंपत रॉय और आलोक कुमार इस समय मानव रचना को बचाने की मुहिम में शामिल हैं।

मानव रचना यूनिवर्सिटी, अरावली इंटरनैशनल स्कूल, एमवीएन स्कूल और सिद्धदाता आश्रम का मामला तो तमाम फार्म हाउसों से भी ज्यादा गंभीर है। ये सभी संस्थान मेवला महाराजपुर की पीएलपीए जमीनों पर बने हुए हैं। इसके अलावा अन्य नियम तोड़ने पर नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) ने इन्हें नोटिस दिया था, इन्हें सुनवाई के दौरान तलब भी किया गया था। एमसीएफ में इन अवैध निर्माणों की पूरी फाइल मौजूद है। इस तरह इन संस्थाओं ने सिर्फ वन विभाग की जमीन पर ही अपने महल नहीं खड़े किए, बल्कि रेवन्यू रेकॉर्ड से छेड़छाड़ की और नक्शा कुछ पास कराया और बनाया कुछ और गया। मजदूर मोर्चा के पाठकों को याद होगा कि हमने अपने पिछले अंकों में इस मामले में विस्तार से खबर छापी थी।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर इसकी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794
6. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
7. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

दूसरी जांच रिपोर्ट में भी विवेक गिल पर उंगली उठी, एस.एन. रॉय अब क्या करेंगे

नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों को चंडीगढ़ से मिल रहा खुला संरक्षण

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ में बैठे आला अफसर ही नहीं चाहते कि नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) में भ्रष्टाचार की गंदगी दूर हो। वॉर्ड 5 में सीवर और नाले की सफाई का फर्जी एस्टीमेट बनाने वाले अधिकारियों पर दूसरी जांच रिपोर्ट पर भी चंडीगढ़ के आला अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो फायर अफसर के निलम्बन की सिफारिश होने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन. रॉय उसे फौरन निलम्बित कर देते हैं तो दूसरी तरफ नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल भ्रष्ट अफसरों के निलम्बन के लिए बार-बार लिख रही हैं लेकिन चंडीगढ़ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बल्कि कुछ अफसरों को तो प्रमोशन तक दे दी गई।

फर्जी एस्टीमेट की दूसरी जांच

हाल ही में पार्षद ललित यादव की शिकायत पर कमिश्नर गरिमा मित्तल ने वार्ड 5 के फर्जी एस्टीमेट मामले की जांच अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा को सौंपी थी। डॉ वैशाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में उन आरोपों की पुष्टि की, जिनके बारे में पहली जांच रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था। संयुक्त आयुक्त ने भी दोषी अफसरों पर कार्रवाई के लिए कमिश्नर गरिमा मित्तल को लिखा। गरिमा ने वही सिफारिश अपनी संस्तुति के साथ चंडीगढ़ एस.एन. रॉय के पास भेज दी, लेकिन वहां एस.एन. रॉय इस पूरे मामले को ही दबाकर बैठ गया है। बता दें कि पहली जांच ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान ने की थी और उसमें उन्होंने तमाम तकनीकी सवाल उठा दिए थे। उसी आधार पर गरिमा मित्तल ने उस समय भी कार्रवाई की सिफारिश की थी।

क्या है पूरा मामला

एमसीएफ की सबसे भ्रष्ट इंजीनियरिंग ब्रांच को वॉर्ड 5 में सीवर और नालों की सफाई के लिए एस्टीमेट बनाना था। 8-10 लाख के काम को 40 लाख का एस्टीमेट बनाकर भेजा गया। 26 अप्रैल 2021 को सीवर लाइनों की सफाई के लिए तीन टेंडर जारी किए गए। इसमें दो एस्टीमेट फर्जी थे। करीब 36 इंच वाली सीवर लाइन की 865 मीटर लंबाई को कागजों में 1615 मीटर दिखाया गया।

एक टेंडर गुरूद्वारा रोड से मनीराम डिस्पोजल जिसकी लंबाई 90 मीटर और दूसरा टेंडर गुरूद्वारा रोड से पुराने डिस्पोजल तक जिसकी कुल लंबाई 650 मीटर है, बनाया गया। एक और टेंडर कुंज गली का बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई 410 मीटर है। कुल मिलाकर जिस सीवर लाइन की लंबाई 865 मीटर है उसे नगर निगम ने तीन अलग अलग टेंडरों में मिलाकर 1615 मीटर कर दिया है जबकि 36 इंच लाइन की कुल लंबाई इतनी नहीं है।

इस मामले की शिकायत पर्वतीय कॉलोनी के राम सिंह नामक शख्स ने नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल से की। गरिमा मित्तल ने इसकी जांच ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान को सौंपी। ज्वाइंट कमिश्नर ने जांच में पाया कि फर्जी एस्टीमेट बनाने में जेई, एसडीओ और एक्सईएन (कार्यकारी अभियंता) विवेक गिल जिम्मेदार हैं। जांच अधिकारी ने जेई संदीप को बर्खास्त करने और एसडीओ अमित चौधरी व कार्यकारी अभियंता विवेक गिल को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश की।

विवेक गिल को मिला इनाम

कमिश्नर गरिमा मित्तल ने कार्यकारी अभियंता विवेक गिल और एसडीओ पर कार्रवाई के लिए स्पष्ट रूप से अतिरिक्त प्रधान सचिव एस.एन. रॉय को लिखा लेकिन चंद दिनों बाद ही एमसीएफ कमिश्नर को एक पत्र मिलता है, जिसमें सूचित किया जाता है कि कार्यकारी अभियंता विवेक गिल को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (एसई) पद पर प्रमोट करते हुए उन्हें गुड़गांव नगर निगम में तैनात किया जाता है।

अब क्या कहना है रॉय साहब

एमसीएफ के इस ताजा घोटाले की दूसरी जांच दरअसल गरिमा मित्तल ने एस.एन. रॉय के संकेत पर ही कराई थी। रॉय को लगा था कि दूसरी जांच में विवेक गिल बच जाएगा और इस तरह उसको दी गई प्रमोशन पर विवाद नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संयुक्त आयुक्त ने पहली जांच रिपोर्ट के तथ्यों की उल्टा और अच्छे ढंग से पुष्टि कर दी। सवाल यह है कि एस.एन. रॉय अब क्या कह कर विवेक गिल को बचाएंगे। उन्हें कोई न कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा।

शराब का ठेका लूटने वाला थानेदार रविन्द्र फिर लूट के मोर्चे पर

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते दिनों मुल्ला ढाबे के निकट करीब तीन करोड़ की ड्यूटी पेड शराब को अवैध रूप से गाड़ियों में लाद कर ले जाने वाला सब इन्स्पेक्टर (एसआई) फ़िर से लूट के मैदान में तैनात कर दिया गया है। विदित है कि उन दिनों मामला ज़्यादा उछलने पर सीपी ओम प्रकाश सिंह ने उसे सीआईए की 56 सेक्टर चौकी से हटा कर, मामला ठंडा होने तक पुलिस लाइन में बैठा दिया था, उसे अब फ़िर से सीआईए की चौकी सेक्टर 65 का इन्चार्ज बना दिया गया है। लगता है सीपी के पास इससे बढ़िया और कोई कमाऊ पूत है नहीं। **'मज़दूर मोर्चा'** की ओर से 2 जून को एक आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था कि उक्त शराब लूट मामले में एस.आई रविंद्र के विरुद्ध क्या-क्या विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी थी। इसके अलावा सम्बन्धित सुपरवाइज़री अफ़सरों द्वारा अपनाये गये ढुलमुल रवैये को लेकर विभाग ने क्या किया? इसके जवाब में सीपी कार्यालय द्वारा बताया गया कि यह सब रविंद्र का निजी एवं व्यक्तिगत मामला है जिसके बाबत कोई सूचना नहीं दी जा सकती।

इस बाबत अभी अपीलें लम्बित हैं, देखना है कि जनता के पैसे से जनता के लिये तैनात एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी उक्त वारदात कैसे उसका निजी मामला हो सकता है।

खोरी में हरियाणा टूरिज्म की 6 एकड़ जमीन...

पेज 1 का शेष

पर स्टे है। इस पर राजेश जून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया - यह मामला हरियाणा टूरिज्म मुख्यालय से डील हो रहा है। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जब उनसे कहा गया कि बतौर सबसे सीनियर अधिकारी होने के नाते उनकी यहां कोई भूमिका नहीं है।

राजेश जून ने कहा - मुख्यालय इसे खुद देख रहा है। जब उन्हें बताया गया कि हरियाणा के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन जब हरियाणा टूरिज्म के एमडी थे, तब उन्होंने कहा था कि हरियाणा टूरिज्म का हर कर्मचारी और अधिकारी हमारी प्रॉपर्टी का कस्टोडियन है तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कैसे नहीं बनती है। इस सवाल पर राजेश जून चुप्पी साध गए।

बता दें कि राजेश जून फरीदाबाद में करीब 30 वर्षों से तैनात हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए ही डिविजनल मैनेजर के पद पर पहुंचे हैं।

इसलिए इस मामले में उनकी जवाबदेही सीधे सीधे बनती है।

ज्वाइंट कमिश्नर की भूमिका

खोरी में तोड़फोड़ का इंचार्ज विवादास्पद ढंग से लगाए गए ज्वाइंट कमिश्नर जितेन्द्र यादव हैं। उनके पास एचएसवीपी (हूडा) में संपदा अधिकारी का भी चार्ज है। जितेन्द्र यादव के पास 6 एकड़ जमीन पर बैठे कब्जाधारियों ने सीधे पहुंच बनाई थी। इसमें उसी भाजपा विधायक के भाई की भूमिका है, जिसका यहां भी कब्जा बताया जाता है। जितेन्द्र यादव से इन लोगों ने कहा कि उस जमीन पर स्टे है। जितेन्द्र यादव ने एमसीएफ कर्मचारियों से वहां तोड़फोड़ नहीं करने का निर्देश दिया।

यानी ज्वाइंट कमिश्नर जितेन्द्र यादव ने मात्र स्टे होने के कारण प्रभावशाली लोगों के सरकारी जमीन पर कब्जे को खाली नहीं कराया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 7 जून का आदेश बहुत स्पष्ट है कि खोरी से हर तरह का निर्माण हटाया जाए। तो ऐसे में हरियाणा टूरिज्म के 6 एकड़ प्लॉट से भी एमसीएफ अवैध कब्जा हटा सकता था। लेकिन सारे अधिकारी कोई न कोई आड़ लेकर इस जमीन पर अवैध कब्जे को बचा रही हैं। अगर इस जमीन से मौजूदा अभियान के दौरान कब्जा नहीं हटा तो कुछ दिन बाद जब यहां सब सामान्य हो जाएगा तो कौन कब्जा खाली कराने आएगा।

सुभाष घई की भी जमीन

खोरी के पास ही पीएलपीए लैंड पर फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई की भी जमीन है लेकिन उस पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया है। सुभाष घई ने यह जमीन बाकायदा हरियाणा सरकार से खरीदी है। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय सुभाष घई को सूरजकुंड में और झज्जर में जमीन दी गई थी। झज्जर में फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर सुभाष घई ने प्लॉट लिया था। लेकिन झज्जर में कोई स्टूडियो नहीं बन पाया और मामला अदालत में जाने पर वो जमीन वापस करनी पड़ी थी। लेकिन सूरजकुंड वाली जमीन अभी भी सुभाष घई के कब्जे में है। पीएलपीए लैंड की जमीन होने की वजह से यह जमीन भी अब वन विभाग की है। यह जमीन अब लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही वन विभाग को वापस मिलेगी।